

लोक और उपायोगिता समिति

ज्ञान विहार, ०८, ७, २०१५ की F. N. R. C. की बैठक

कुलपाल मोदी के कानूनीय कानून में अपराध ३-१५ के

सम्बन्ध ही बैठक में मानीय सदस्यों के उपायोगिता

निम्नलिखि

1. मां कुलपाल — अधिकारी
2. प्रो. मुगल छिंगोर मिश्र — सदस्य
3. प्रो. रुमाय चन्द्र तिवारी — „
4. प्रो. माधुरा ध मिश्र — „
5. प्रा. राजीव कुमार शुक्ल — „
6. प्रा. विनीता योद्धा — „
7. विना अधिकारी — „
8. श्री रवीन्द्र जामलवाह — वाइप सदस्य
9. समन्वयक गुप्त एवं द्वितीयम्
प्रबोध माठगां कांडा चिंचापी वाराणसी — „
10. द्वयमी छान्मुक तेवरानन्द
श्री रवीन्द्र जामलवाह, वाराणसी — „
11. कुल सचिव
12. श्री शोभ्य कुमार बिष्ट सदस्य/सदस्यम्
प्रबोध वाराणसी — „
13. प्रा. कुमार चन्द्र इडे समाजक
प्रबोध वाराणसी — „

निषेध

नेक रिपोर्ट की सम्मति पर विचार के तहम में नेक रिपोर्ट में प्रस्तुत सुझावों के सलवार में निम्नलिखित सम्मतियाँ की गईः

● नेक रिपोर्ट पर विचार

1. विश्वविद्यालय में लौशिक/तकनीकी रिस्ट पर्सों को लौश नियमानुसार भरे जाने हेतु प्रक्रिया पूरी की जाय।
2. विश्वविद्यालय में पूर्व से स्थापित चेयर (मानवेश प्राध्यापक) के रिस्ट पर्सों को भरा जाय।
3. C.B.C.S. सिस्टम को लागू किये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय में स्नानकोत्तर स्लर पर सिस्टम लागू किया जाय।
4. विश्वविद्यालय के संग्रहालय (Museum) को लौशिक स्लर प्रार बनाने के लिए संग्रहालयाभ्यास में प्रस्ताव (D.P.R.) मांगा जाय। इसके प्रस्ताव को I.Q.A.C. का अधिग्रहण बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
5. अन्तर्राष्ट्रीय स्लर पर Patent की सम्भावनाओं की तलाश के लिए संग्रहालयाभ्यास से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।
6. I.Q.A.C. की ओर से Language Lab को पर्याप्त उपकरणों से सुधारित करने के लिए Faculty Member के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त किया जाय। Computer Center के लिए उपकरण हेतु क्रय कर लिया गया है।
7. Women's Study Center Recreation Center एवं पर्याप्त मात्रा में Toilet निर्माण हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भेजा जाय।
8. शास्त्रार्थ परिषद् के गठन हेतु वरिष्ठ अध्यापकों की समिति का गठन किया जाय।
9. शास्त्र पौरी की योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
10. नाट्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में लागू करने के परिवेश में बात में निर्णय लिया जायेगा।
11. आधुनिक अध्ययन विधियों/I.C.T की सम्भावनाओं की तलाश हेतु पचपन वर्ष से कम आयु के अध्यापकों को भारत एवं भारत के बाहर भेजने जाने पर विचार किया जाय।
12. कर्मचारी कल्याण योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए प्रशासनिक निर्णय लिये जाय तथा कर्मचारियों के कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाय।
13. ऐकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना तथा C.D.C. की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा जाय। प्रो. रजनीश शुक्ल को अध्यादेश निर्माण के लिए अधिकृत किया जाय।
14. I.Q.A.C. की ओर से Academic Audit के लिए विस्तृत योजना तैयार किया जाय।
15. स्पार्ट क्लास का अध्यापन कार्य में नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
16. I.Q.A.C. की ओर से पुस्तकालयाभ्यास को "Complete Library Automation and Standard Journals" के subscription लिए इस आशय का पत्र प्रेषित कर प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किया जाय।
17. Disabled Person की सुविधाओं के लिए प्रस्ताव बनाया जाय। साथ ही साथ रैम्प, टायलेट, ट्राइसाइकिल एवं लुई ब्रेल की पुस्तकें इत्यादि क्रय किया जाय।
18. विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर गय ली जाय।
19. डॉ. रमेश प्रसाद एवं डॉ. विद्या चन्द्रा द्वारा प्रोफ्रेसर हेतु प्रस्तुत CAS प्रोफार्मा के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इन अध्यापकों के ब्रेणी-3 के अड्डे प्रोफ्रेसर हेतु अपेक्षित अड्डे के अनुकूल हैं। ब्रेणी-1 एवं ब्रेणी-2 के अड्डे के सम्बन्ध में अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत दावों के सन्दर्भ में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग/अनुभाग अधिकारी से सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुकूल में इन अध्यापकों की प्रोफ्रेसर सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाय।

डॉ. लोकुम्बा लाला 4.9.15
4.9.15

2/1 मंट
4/9/15

4.9.15
4.9.15